म.प्र. जन अभियान परिषद्

(योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, म.प्र. शासन)
राजीव गांधी भवन खण्ड 2, 35 श्यामला हिल्स, भोपाल, 0755-2660203

क्रं.1101.../JAP/TM/CMCLDP/2025 BHOPAL, dt.08/05/2025

प्रति,

संभाग समन्वयक (समस्त)
जिला समन्वयक (समस्त)
विकासखण्ड समन्वयक ((समस्त)
म.प्र. जन अभियान परिषद्

विषय- शैक्षणिक सत्र 2025-26 में मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठयक्रम में मेंटर्स रखे जाने हेतु मार्गर्शी बिन्दुओं के संबंध में।

शैक्षणिक सत्र 2025-26 में मुख्यमंत्री नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम अंतर्गत BSW एवं MSW की कक्षाओं के संचालन हेतु आगामी आदेश तक परामर्शदाता की व्यवस्था के संबंध में मार्गदर्शी बिन्दु पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है। तदानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

कार्यपालक निदेशक महो. द्वारा अनुमोदित

7.5.25
निदेशक सेल
म.प्र. जन अभियान परिषद्

पृ.क्रं.1102/ JAP/TM/CMCLDP/2025 BHOPAL, dt.08/05/2025

प्रतिलिपिः-

1. निज सहायक, मान. उपाध्यक्षद्वय, म.प्र. जन अभियान परिषद् की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. निज सहायक, कार्यपालक निदेशक, म.प्र. जन अभियान परिषद् की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कुलपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, जिला सतना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. एम.आइ. एस. शाखा की ओर अपलोड किये जाने हेतु।
5. गार्ड नस्ती।

7.5.25
निदेशक सेल
म.प्र. जन अभियान परिषद्

परामर्शदाता संबंधी निर्देश

1. पृष्ठभूमि -

समाजकार्य स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रम –

म.प्र. जन अभियान परिषद् और महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप मध्यप्रदेश शासन के सहयोग से प्रदेश के समस्त 313 विकासखण्डों में समाजकार्य स्नातक एवं परास्नातक (सामुदायिक नेतृत्व एवं सतत् विकास) पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022-23 से नवीन स्वरूप में संचालित किया जा रहा है। पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य गांव/वार्ड में ही समाजकार्य में स्नातक एवं परास्नातक ऐसे कुशल, प्रशिक्षित और दक्ष व्यक्ति/युवाओं को तैयार करना है जो गांव/वार्ड के संसाधनों से परिचित हों, वहां की समस्याओं की समझ रखता हो और विकास के विभिन्न आयामों पर जन सहभागिता से हस्तक्षेप कर विकास के अनुकूल सकारात्मक वातावरण का निर्माण कर सके। साथ ही गांव के वरिष्ठ/युवा प्रशिक्षित होकर स्वावलंबन के आधार पर गांव/वार्ड में स्वयं कार्य कर सके और अन्य लोगों को भी प्रेरित कर सके।

पाठ्यक्रम का संचालन शिक्षण की ओडीएल पद्धति (ओपन एण्ड डिस्टेंस लर्निंग) के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नियामक इकाई डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो (डीईबी) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है।

दिशा-निर्देशों के अनुरूप पाठ्यक्रम की संपर्क कक्षाएं प्रति रविवार (संपूर्ण शैक्षणिक सत्र में 40) सम्पन्न होती हैं। प्रत्येक छात्र को एक सामाजिक प्रयोगशाला (सोशल लैब) के रूप में ग्राम/वार्ड आवंटित किया गया है। जहाँ वह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा (UN) प्रतिपादित सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के किसी एक विकास आयाम पर स्थानीय जनों के सहयोग और समन्वय से मन:स्थिति एवं परिस्थिति परिवर्तन के लिए परिवर्तन दूत (चेंज एजेंट) बनकर सप्ताह के अवशेष 06 दिवसों में कार्य करता है।

ओपन एण्ड डिस्टेंस लर्निंग में विद्यार्थियों को नियमित विद्यार्थियों की तरह सतत् मार्गदर्शन का अभाव होता है। इस कमी को पूर्ण करने हेतु ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए परामर्शदाता की सतत् सेवायें प्रदान की गई हैं। अर्थात् फील्ड के कार्यों के संपादन, इस कार्य में विद्यार्थियों को आवश्यक निर्देश, सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए ही परामर्शदाता व्यवस्था है।

2 पाठ्यक्रम संचालन में परामर्शदाता की भूमिका –

2.1 मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित समाजकार्य स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों में परामर्शदाता वह व्यक्ति होता है जो विद्यार्थी के लिए मित्र, चिन्तक और मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है।

2.2 परामर्शदाता विकास में रूचि रखने वाले, स्वैच्छिकता भाव से कार्य करने के इच्छुक युवाओं को पाठ्यक्रम से जोड़कर उनकी क्षमता अभिवर्धन में सहभागी बनता है।

2.3 परामर्शदाता, विद्यार्थी द्वारा फील्ड में किये गये कार्य का मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन हेतु प्रदत्त कार्य और प्रोजेक्ट कार्य, संपर्क कक्षाओं में विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान और विद्यार्थी की क्षमता, आवश्यकता और रूचि की दृष्टि से वैकल्पिक विषयों एवं व्यावसायिक विषयों के चयन में मार्गदर्शन प्रदान करता है।

2.4 विद्यार्थियों के लिए संबंधित शासकीय विभागों और स्वैच्छिक संगठनों में इंटर्नशिप की व्यवस्था के संचालन में भी सहभागी होता है।

3 परामर्शदाता की योग्यता –

अ- <u>अनिवार्य योग्यता</u> -

3.1 परामर्शदाता के रूप में अपनी सेवायें देने वाले व्यक्ति के लिए अनिवार्य होगा कि वह उस विकासखण्ड का स्थानीय निवासी हो।

3.2 परामर्शदाता समाजकार्य या अन्य संबंधित सामाजिक विज्ञान विषयों जैसे – समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान आदि में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से परास्नातक उपाधि प्राप्त होना अनिवार्य है। पीएचडी उपाधि होने पर वरीयता प्रदान की जायेगी। सीएमसीएलडीपी पाठ्यक्रम से परास्नातक उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों को परामर्शदाता के रूप में नामांकन किये जाने में सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाये। सी.एम.सी.एल.डी.पी.पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में अध्ययनत छात्र परामर्शदाता के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे।

3.3 परामर्शदाता अकादमिक दक्षता के साथ पाठ्यक्रम संचालन के विविध आयामों यथा- क्लास वर्क, फील्डवर्क, इंटर्नशिप समन्वयन, शासकीय योजनाओं में जनसहभागिता सुनिश्चित करने एवं अन्य आवश्यक गतिविधियों में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया जाये।

3.4 परामर्शदाता की कम्प्यूटर संचालन, दस्तावेजीकरण और सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना, विचार और तथ्यों के आदान-प्रदान दक्षता आवश्यक है।

ब- परामर्शदाता के रूप में वरिष्ठ व्यक्तियों का मार्गदर्शन -

3.5 एमआईएस पर पंजीकृत ऐसे व्यक्ति जो स्वैच्छिकता के आधार पर अपनी सेवायें देने इच्छुक हैं (ऑनरेरी मेन्टर्स) की सेवायें भी आवश्यकता अनुरूप ली जा सकेंगीं।

3.6 उच्च शिक्षा या शासकीय सेवा से ऐसे सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी/शिक्षक यदि स्वैच्छिकता के आधार पर मार्गदर्शन प्रदान करने के इच्छुक हों तो उनकी सेवायें भी ली जा सकेंगी।

4 परामर्शदाता का चिन्हांकन/नामांकन -

4.1 विकासखण्ड में नवांकुर संस्थाओं के माध्यम से ही परामर्शदाता के चिन्हांकन/नामांकन की व्यवस्था संचालित होगी। विकासखण्ड के प्रत्येक सेक्टर के एक नवांकुर संस्था से एक परामर्शदाता को नामांकित किया जाये।

4.2 इस प्रकार एक विकासखण्ड में 5 परामर्शदाता 5 पृथक-पृथक नवांकुर द्वारा चिन्हांकित/नामांकित होंगे। जिससे विकासखण्ड के सभी सेक्टरों का प्रतिनिधित्व हो सके।

4.3 परिषद के अधिकारी/कर्मचारियों के रक्त एवं निकट संबंधियों की सेवाएं मेन्टर्स/परामर्शदाता के रूप में न ली जायें।

4.4 नवांकुर संस्थाओं द्वारा प्रदत्त परामर्शदाता संस्था के पदाधिकारी या सदस्यों के रक्त एवं निकट संबंधी नहीं होने चाहिए।

4.5 परामर्शदाताओं का नामांकन करते समय यह ध्यान रखें कि उनमें कम से कम एक महिला अवश्य हो। यदि कहीं सभी परामर्शदाता महिलायें हों तो नवाचार के रूप में इसे **'पिंक स्टडी सेंटर'** बना सकते हैं।

4.6 **पूर्व से कार्यरत् परामर्शदाताओं की सेवाओं की निरन्तरता-**

पूर्व से कार्यरत् परामर्शदाताओं की सेवाओं की निरन्तरता उनके द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शन की गुणवत्ता पर निर्भर होगी। नवांकुर संस्थाओं द्वारा परामर्शदाताओं के पूर्व के कार्यों की निम्नलिखित आधारों पर समीक्षा किया जावे–

- पाठ्यक्रम के लोकव्यापीकरण से उच्च गुणवत्ता के छात्रों को पाठ्यक्रम की ओर आकृष्ट करने में भूमिका।
- परामर्शदाता के मार्गदर्शन से विद्यार्थियों की संतुष्टि।
- छात्रों की उपस्थिति को नियमित रूप से एमआईएस पर दर्ज कराये जाने में सहयोग।
- प्रदत्त और प्रोजेक्ट कार्य कराये जाने की गुणवत्ता।
- जनकल्याणकारी योजनाओं में जन सहभागिता सुनिश्चित करने में उनकी दक्षता।

- सकारात्मक और सार्थक मानसिकता।
- संबंधित अन्य गतिविधियों में सक्रियता और सहयोग।

4.7 पूर्व से कार्यरत् परामर्शदाताओं की सेवाओं की निरन्तरता समाप्त करने संबंधी निर्देश-

- परामर्शदाता को ऑनलाईन/ऑफलाईन मेन्टर्स प्रशिक्षण सत्रों में उपस्थित रहना अनिवार्य है। अनुपस्थित रहने वाले परामर्शदाताओं की सेवायें स्थगित या समाप्त किया जावे।
- ऐसे परामर्शदाता जिन्होंने विगत वर्षों में शुचिता, गरिमा, अनुशासन और मूल्यों का ध्यान नहीं रखा हो तो उनकी सेवायें समाप्त की जायें।

5 परामर्शदाता का दायित्व -

5.1 अकादमिक कार्य

- कक्षाओं में विद्यार्थियों की सतत् उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- फ्रैण्ड, फिलॉसफर और गाईड की भूमिका।
- संपर्क कक्षाओं का संचालन। (रविवार को – मानदेय रू एक हजार प्रति संपर्क कक्षा)
- फील्डवर्क में गतिविधियों का संचालन, समन्वयन एवं निर्देश। (रविवार को छोड़कर सप्ताह के अन्य दिवसों में – न्यूनतम दो दिवस फील्ड में उपस्थिति अनिवार्य - मानदेय रू एक हजार)

5.2 क्षेत्रीय (फील्ड) कार्य

- परामर्शदाता संबंधित सेक्टर एवं नवांकुर संस्था का प्रभारी अधिकारी होंगे।
- अनुश्रवण एवं मूल्यांकन संबंधी गतिविधियों का प्रभार।
- एमआईएस पर डाटा अपलोड करना।
- नवांकुर संस्थाओं को मार्गदर्शन करना।
- विभिन्न शासकीय विभागों और स्वैच्छिक संगठनों में इंटर्नशिप का समन्वयन।
- सीएमसीएलडीपी के प्रवेश एवं परीक्षाओं में सहयोग।
- विभिन्न शासकीय अभियानों में जन सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु सक्रिय सहयोग।
- समयसमय पर सौंपे गये अन्य कार्य।-

6 परामर्शदाता का कार्यक्षेत्र -

6.1 जिस सेक्टर से वह नामांकित हुआ है उस क्षेत्र में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन।

6.2 जिस नवांकुर संस्था के माध्यम से नामांकित हुआ है उसका प्रभार।

7 नवांकुर संस्थाओं द्वारा परामर्शदाताओं की मानदेयं व्यवस्था -

7.1 प्रत्येक परामर्शदाता को प्रति संपर्क कक्षा संचालन हेतु राशि रूपये 1000/- के मानदेय की पात्रता होगी।

7.2 विद्यार्थियों द्वारा सामाजिक प्रयोगशाला के रूप में चुने गये ग्रामों में विकास के विविध आयामों पर किये जाने वाले फील्ड वर्क में मार्गदर्शन के लिए परामर्शदाता को सप्ताह के अवशेष दिनों में कार्य करने पर राशि रूपये 1000/- के मानदेय की पात्रता होगी। परामर्शदाता को सप्ताह में न्यूनतम दो दिवस फील्ड में रहकर विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान करना होगा। जिसकी पुष्टि विकासखण्ड समन्वयक करेंगे।

7.3 संपर्क कक्षाओं में अनुपस्थिति एवं फील्ड में निर्धारित दिनों में अनुपस्थित रहने पर परामर्शदाता को संबंधित दिवसों में निर्धारित मानदेय की पात्रता नहीं होगी।